# FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम अराई (अजमेर)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

• गोपी पत्नी रूपा जाति जाट निवासी ग्राम जोरावरपुरा, तहसील अराई जिला अजमेर राज वगै.।
—वादीगण

## बनाम

• भागचन्द पुत्र जतना, जाति जाट, निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।
—प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 22/2023

ऑनलाइन नंबर 2023/ ..........

वकील प्रतिवादीगण........

वकील वादी:— योगेश शर्मा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.06.2023 | यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा सिंह ने अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2023 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 27.07.23 | वादी अधि० उप०। प्रतिवादीगणों की तलबी शेष। पत्रावली दिनांक 25.08.23 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अराँई (अजमेर) | |
| 25/8/2023 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी नं. 01 से 03 की Del. Report तथा प्रतिवादी नं. 04 व 05 के तामीलशुदा सम्मन पेश किये गये शा.कि.। प्रतिवादी नं. 01 की ओर से वकील पी.एम. व 2,3 की ओर से अशोक शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शा.कि. रहे वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 21/9/23 को पेश हो। | |

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

(3)

तारीख
नम्बर
जो इस हुक्म
तामील में

21/3/2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील पक्षकारान उप०। वकील प्रतिवादी जवाब आपत्ति प्रस्तुत की गई। बार एसोसियेशन द्वारा स्वागत होने के कारण स्थगित है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28.3.2025 को पेश हो।

28.3.2025

पत्रावली पेश हुई वकील वादी द्वारा हाल फर्द दस्तावेज पेश किये जो शा० पत्रावली है। वकील प्रतिवादी उप०। वकील उभयपक्ष की आपत्ति प्रा०पत्र दिनांक 26/5/25 व मूल वाद पर बहस सुनी गई। आपत्ति प्रा०पत्र को सारहीन होने से खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा० कि० किये गये। मूलवाद के अन्तिम आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किये गये। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(4)

# डिक्री

## (आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix D-1)

## अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अरांई (अजमेर)

## व इजलास श्रीमती निशा सहारण, आर.ए.एस.

1. गोपी पत्नी रूपा जाति जाट उम्र 55 साल निवासी ग्राम जोरावरपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
2. परमेश्वर पुत्र रूपा जाति जाट उम्र 36 साल निवासी जोरावरपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

वादीगण

बनाम

1. भागचन्द पुत्र जतना जाति जाट
2. छोटी पत्नी जतना जाति जाट
3. श्योजी पुत्र जतना जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अराई जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. उपपंजीयक अरांई तहसील अरांई
6. तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 53, 188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 22/2023
निर्णय दिनांक :

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.11.2024 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार अरांई द्वारा वाद पत्र में वर्णित ग्राम आकोडिया स्थित भूमि खसरा संख्या 1670 रकबा 02.0387 हैक्टैयर का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। अतः कमीश्नर द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर वादअधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है, कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगाः–

| क्र. सं | नाम खातेदार | खसरा संख्या | रकबा हैक्टैयर में | किस्म | रंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1) गोपी पत्नी स्व. रूपा हिस्सा 1/2 (2) परमेश्वर पुत्र स्व. रूपा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह आकोडिया खातेदार | 1670/2 | 1.0194 | बारानी 03 | गुलाबी |
| | कुल किता 01 | | कुल रकबा 1.0194 हैक्टैयर | | |
| 2. | छोटी पत्नी जतना हिस्सा 1/10 राहिन एस.बी.आई. शाखा अरांई, श्योजी पुत्र जतना हिस्सा 9/20 राहिन बडौदा राज. क्षे. ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया, भागचन्द पुत्र जतना हिस्सा 9/20 जाति जाट सा. आकोडिया खातेदार | 1670/1 | 1.0193 | बारानी 03 | हरा |
| | कुल किता 1 | | कुल रकबा 1.0193 हैक्टैयर | | |

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/3/25...... को जारी की गई।

(निशा सहारण)
सहायक कलक्टर
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

(5)

# न्यायालय सहायक कलक्टर अरांई, अजमेर

## राजस्व वाद सं0 22/2023

1. ...पी पत्नी रूपा जाति जाट उम्र 55 साल निवासी ग्राम जोरावरपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
2. परमेश्वर पुत्र रूपा जाति जाट उम्र 36 साल निवासी जोरावरपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

वादीगण

बनाम

1. भागचन्द पुत्र जतना जाति जाट
2. छोटी पत्नी जतना जाति जाट
3. श्योजी पुत्र जतना जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अराई जरिये शाखा प्रबन्धक
5. उपपंजीयक अरांई तहसील अरांई
6. तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

—प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## आदेश

उपस्थितः— वकील वादी श्री विजेन्द्र सिंह
वकील प्रतिवादी श्री विजय पोषक

दिनांक 28/3/25

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने उपस्थित होकर एक बाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम आकोडिया पटवार हल्का आकोडिया तहसील अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 591 खसरा संख्या 1670 रकबा 02.0387 हैक्टेयर (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2078, (वर्ष 2019) से स्थायी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर आराजीयात का हक हिस्सेनुसार चुनरीबट के अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का तकासमा नहीं करवाना चाहा तथा इनकार कर दिया गया इसीलिये यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। श्रीमान से निवेदन है कि आराजीयात मुतदाविया कृषि भूमि आकोडिया पटवार हल्का आकोडिया तहसील अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 591 खसरा संख्या 1670 रकबा 02.0387 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा फरमाया जावे। वादी का वाद दिनांक 16.06.2023 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी जो कि 24.08.2023 तक प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से विजय पोषक उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी संख्या 02, 03 की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 19.10.2023 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10.151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसमे उनके द्वारा पश्चातवर्ती वाद संख्या 25/2023 को हस्तगत वाद में संलग्न करने का निवेदन किया, उक्त प्रार्थना पत्र वकील उभयपक्ष को सुना गया, वाद संख्या 25/2023 को हस्तगत वाद में संलग्न किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा पेश किया। जवाबदावे में वकील प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 ने निवेदन किया कि वादअधीन भूमि में वर्तमान चुनरीबट के अनुसार विभाजन नहीं हो रखा है, वादअधीन भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पति जतना द्वारा 1/2 हिस्सा क्रय किया गया था। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात वादीगण के पिता व प्रतिवादीया के पूर्वाधिकारी अपने जीवनकाल में ही आपसी सहमति से बादअधीन भूमि के पूर्व दिशा में अवस्थित खसरा संख्या 1685 एवं 1688 आम रोड से आवागमन हेतु अपने अपने हिस्सेनुसार रास्ते बनाकर पूर्व से पश्चिम बंटवारा करते हुये दक्षिण दिशा में आधे हिस्से पर जतना काबिज काश्त थे तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उक्तानुसार मौके पर काबिज काश्त है अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादअधीन भूमि का पूर्व से पश्चिम के अनुसार बंटवारा कर दिया जावे। दिनांक 08.11.2024 को वकील उभयपक्ष की वाद पत्र पर बहस सुनी गई एवं वाद में बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के अनुसार वादअधीन भूमि का बंटवारा करने के आदेश तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.11.2024 पारित किये गये।

दिनांक 22.11.2024 को पारित आदेश व डिक्री की पालना में दिनांक 21.02.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया। दिनांक 28.02.2025 को वकील वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

(6)

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। 28.03.2025 को वकील उभयपक्ष की मूल वाद पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा विभाजन प्रस्ताव का ...कन किया गया। कमीश्नर द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार वादअधीन भूमि का बंटवारा किया जाता है ...श्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार ...राई. द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता ...

| क्र. सं | नाम खातेदार | खसरा संख्या | रकबा हैक्टैयर में | किस्म | रंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1) गोपी पत्नी स्व. रूपा हिस्सा 1/2 (2) परमेश्वर पुत्र स्व. रूपा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह आकोडिया खातेदार | 1670/2 | 1.0194 | बारानी 03 | गुलाबी |
| | कुल किता 01 | | कुल रकबा 1.0194 हैक्टैयर | | |
| 2. | छोटी पत्नी जतना हिस्सा 1/10 राहिन एस.बी.आई. शाखा अरांई, श्योजी पुत्र जतना हिस्सा 9/20 राहिन बडौदा राज. क्षे. ग्रामीण बैंक शाखा आकोडिया, भागचन्द पुत्र जतना हिस्सा 9/20 जाति जाट सा. आकोडिया खातेदार | 1670/1 | 1.0193 | बारानी 03 | हरा |
| | कुल किता 1 | | कुल रकबा 1.0193 हैक्टैयर | | |

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
सहायक कलक्टर
अरांई (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)